भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4457
दिनांक 19.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन में अनियमितताएं

+4457. श्री पुष्पेंद्र सरोजः
सुश्री इकरा चौधरीः
एडवोकेट प्रिया सरोजः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत वित्तीय अनियमितताओं, निम्न स्तर के कार्य, अधूरे कनेक्शन और ठेकेदारों के कदाचार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विशेषकर उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसी शिकायतों का श्रेणी-वार विवरण क्या है और उक्त परियोजनाओं, जिनके विरुद्ध अनियमितताओं की सूचना मिली थी, में केंद्रीय निधि का हिस्सा कितना है;
(ग) उक्त शिकायतें दर्ज किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश में किए गए निरीक्षणों की संख्या, तृतीय-पक्ष गुणवत्ता संपरीक्षा, दर्ज की गई प्राथमिकियों, काली सूची में डाले गए ठेकेदारों और वसूल की गई निधि का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या अनुपालन न किए जाने के कारण केंद्रीय सहायता की कोई किस्त रोकी गई, कम की गई या सशर्त बनाई गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा उक्त मिशन के अंतर्गत बार-बार उजागर होने वाली वित्तीय और गुणवत्ता संबंधी खामियों को रोकने के लिए शुरू किए गए सुधारात्मक ढांचागत उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): जल 'राज्य' का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है। भारत सरकार वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके इन प्रयासों में मदद करती है।

जेजेएम के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वित्तीय अनियमितताओं, कार्यों की खराब गुणवत्ता, परियोजनाओं में विलंब और संबंधित मुद्दों के संबंध में विभिन्न स्रोतों जैसे कि मीडिया रिपोर्टों, स्वत: संज्ञान, जन प्रतिनिधियों, नागरिकों, शिकायत पोर्टलों आदि से कुल 18,790 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संसूचित शिकायतें **अनुबंध** में दी गई हैं। शिकायतों का श्रेणी-वार ब्यौरा राज्य स्तर पर रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि स्वत: संज्ञान सहित विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्राप्त कुल 16,178 शिकायतों में से अब तक सभी शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है। 15,553 मामलों में रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है, जबकि शेष मामलों में जांच जारी है। राज्य ने कार्य-निष्पादन में विलंब के लिए 120 ठेकेदारों के विरूद्ध कार्रवाई भी की है, जिसमें परिनिर्धारण क्षतिपूर्ति हर्जाना लगाया गया है, जो 340 करोड़ रुपये बैठता है।

जेजेएम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार नियमित रूप से बैठकों और बहु-विषयक टीम के दौरों के माध्यम से राज्यों के साथ प्रगति की समीक्षा करती है, कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए क्षेत्रों की पहचान करती है तथा त्वरित कार्य-निष्पादन के लिए निगरानी करती है। जेजेएम-आईएमआईएस पर भौतिक और वित्तीय प्रगति की सूचना के साथ-साथ पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। सभी नल जल कनेक्शन घर के मुखिया के आधार नंबर से जुड़े हुए हैं और जेजेएम के तहत निर्मित की गई परिसंपत्ति को जियो-टैग किया गया है। इसके अलावा, जेजेएम और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के दिशानिर्देशों को पूरा करने पर ही केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, भुगतान से पहले तीसरे पक्ष का निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भुगतान जारी करने से पहले कार्य की गुणवत्ता, उपयोग की गई सामग्री और संस्थापित मशीनरी की गुणवत्ता का सत्यापन करने के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को पैनलबद्ध करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि जेजेएम योजनाओं का जमीनी सत्यापन केंद्रीय और राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा किया गया है, जिनमें तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय वॉश विशेषज्ञ, राज्य नोडल अधिकारी, तकनीकी लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (एसडब्ल्यूएसएम) और एसडब्ल्यूएसएम, उत्तर प्रदेश के नोडल

अधिकारी शामिल हैं। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान से पहले सभी कार्यों को तीसरे पक्ष की निरीक्षण एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जाता है।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय, प्रक्रियात्मक या गुणवत्ता संबंधी उल्लंघनों के प्रति जीरो-टॉलरेंस दृष्टिकोण अपनाने की बारंबार सलाह दी गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक शिकायत की पूरी तरह से जांच की जाए, शीघ्र क्षेत्र सत्यापन किया जाए और मिशन के तहत पारदर्शिता तथा जवाबदेही बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक अनुशासनात्मक, संविदात्मक और विधिक कार्रवाई की जाए।

अनुबंध

दिनांक 19.03.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4457 के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शिकायतों की कुल संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0
2	आंध्र प्रदेश	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	1226
5	बिहार	0
6	छत्तीसगढ़	329
7	दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव	0
8	गोवा	0
9	गुजरात	1
10	हरियाणा	4
11	हिमाचल प्रदेश	3
12	जम्मू और कश्मीर	24
13	झारखंड	152
14	कर्नाटक	169
15	केरल	25
16	लद्दाख	1
17	लक्षद्वीप	0
18	मध्य प्रदेश	37
19	महाराष्ट्र	154
20	मणिपुर	19
21	मेघालय	8
22	मिजोरम	1
23	नागालैंड	14
24	ओडिशा	4
25	पुडुचेरी	0
26	पंजाब	6
27	राजस्थान	176
28	सिक्किम	0
29	तमिलनाडु	45
30	तेलंगाना	0
31	त्रिपुरा	1
32	उत्तर प्रदेश	16178
33	उत्तराखंड	40
34	पश्चिम बंगाल	173
	कुल	**18790**